मॉड्यूल

जेंडर भेदभाव और लैंगिक हिंसा पर महिला शक्ति समूह की क्षमता वृद्धि

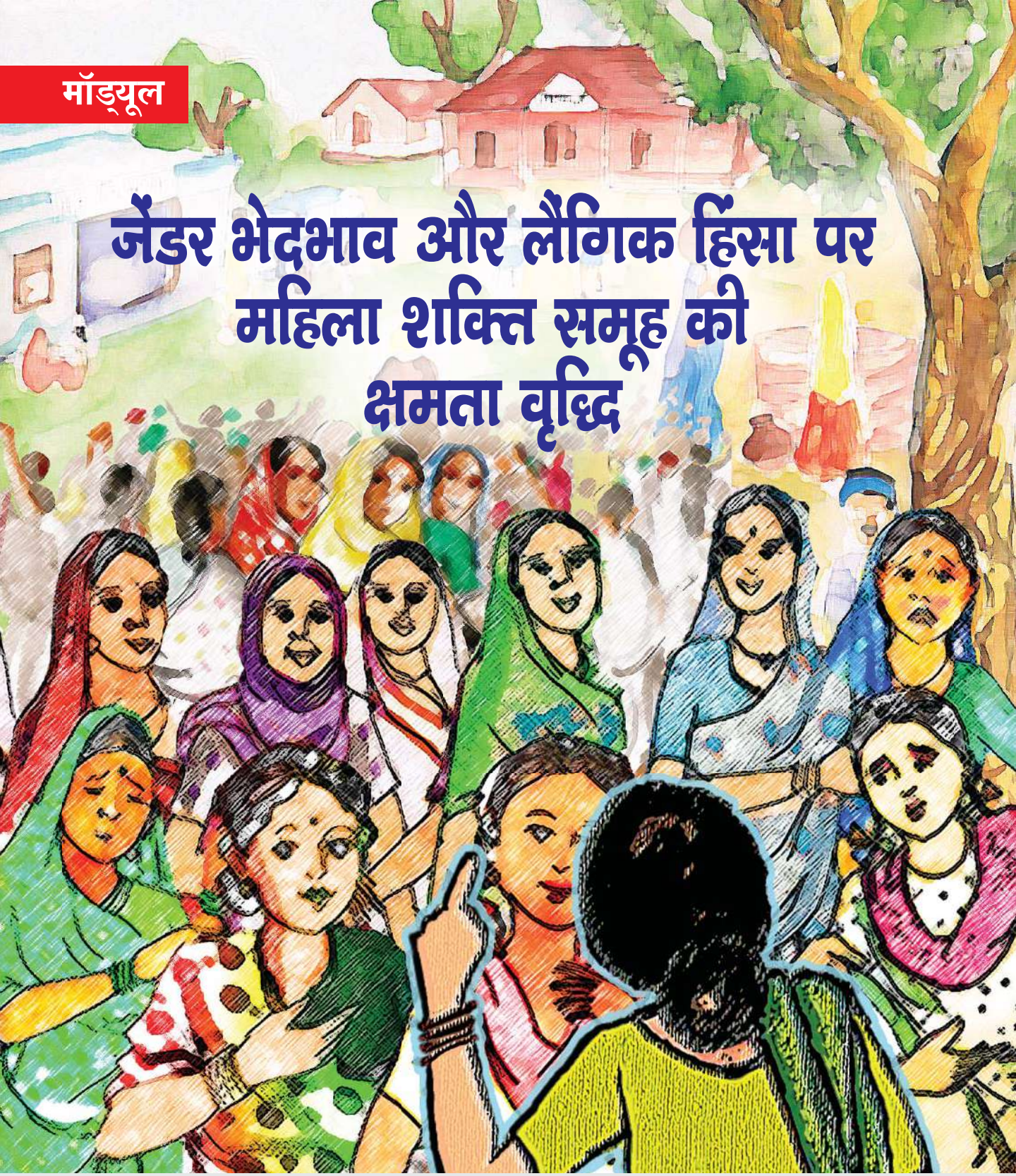

स म र्थ न

UNFPA

मॉड्यूल

जेंडर भेदभाव और लैंगिक हिंसा पर महिला शक्ति समूह की क्षमता वृद्धि

समर्थन – सेंटर फॉर डेवलपमेंट सपोर्ट, भोपाल

स म र्थ न

UNFPA

अनुक्रमणिका

क्र.	विषय-वस्तु	पृष्ठ क्रमांक
1	मॉड्यूल के बारे में	5
2	सहजकर्ता के लिये मार्गदर्शी बिंदु	5
3	बैठक की शुरूआत	6
4	बैठक का समापन	6
बैठक-1	महिला शक्ति समूह के उद्देश्य एवं सामाजिक बदलाव में भूमिका	7
बैठक-2	महिलाओं के लिये संचालित कार्यक्रम एवं योजनाएं	9
बैठक-3	समाज में महिलाओं की स्थिति : सेक्स और जेंडर में भेद	12
बैठक-4	महिला हिंसा क्या है ?	16
बैठक-5	पितृसत्ता क्या है ?	19
बैठक-6	महिला सुरक्षा के लिये सेफ्टी ऑडिट	22
बैठक-7	घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण कानून	24
बैठक-8	महिलाओं से जुड़े कानूनी अधिकार	28
बैठक-9	महिला हिंसा से जुड़े मामलों में पंचायत की भूमिका	31
बैठक-10	हिंसा पीड़ित महिलाओं के सहयोग हेतु संस्थागत व्यवस्थायें	34
अनुलग्नक-1	बैठक-1 : महिला शक्ति समूह के उद्देश्य	36
अनुलग्नक-2	बैठक-2 : महिलाओं एवं लड़कियों के लिये संचालित प्रमुख योजनाओं के लाभ हेतु पात्रता, दस्तावेज एवं लाभ की जानकारी	37
अनुलग्नक-3	बैठक-3 : पितृसत्ता/ सत्ता	38

मॉड्यूल के बारे में

समाज में महिला-पुरूष, लड़का-लड़की के बीच गैर बराबरी और भेदभाव की परंपरा सदियों से चली आ रही है। जिसके चलते कई मामलों में महिलाओं को हिंसा का सामना भी करना पड़ता है। लैंगिक भेदभाव और हिंसा की रोकथाम हेतु किये गये संवैधानिक अधिकारों और कानूनों के बारे में जमीनी स्तर पर जागरूकता का अभाव होने के कारण महिलायें अपनी सुरक्षा और सम्मान के लिये इनका उपयोग नहीं कर पाती हैं। महिलाओं के कल्याण के लिये विभिन्न योजनायें और कार्यक्रम संचालित हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में इनके लाभ से भी वंचित रहती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विषयों पर महिलाओं की क्षमतावृद्धि हेतु स्व सहायता समूह और ग्राम संगठन एक सशक्त माध्यम है, जिनके माध्यम से बड़े स्तर पर जानकारी का प्रसार किया जा सकता है। इसी नजरिये को ध्यान में रखते हुए यह मॉड्यूल तैयार किया गया है। मॉडयूल का उपयोग कर हर माह होने वाली बैठक में महिला समूहों और ग्राम संगठन के सदस्यों को किसी एक विषय पर जानकारी प्रदान की जायेगी। जिसके तहत महिलाओं के लिये संचालित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रम, सेक्स और जेंडर में भेद, लैंगिक भेदभाव, महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा के विभिन्न प्रकार, लैंगिक भेदभाव और हिंसा की रोकथाम हेतु लागू विभिन्न कानून, लैंगिक हिंसा और भेदभाव की रोकथाम में समूह/संगठन व पंचायतों की भूमिका से जुड़ी जानकारियों को मॉड्यूल में शामिल किया गया है। आशा है यह मॉड्यूल महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा एवं कल्याण के संदर्भ में एक बड़ा बदलाव लाने में मददगार साबित होगा।

सहजकर्ताओं के लिये मार्गदर्शी बिन्दु

- सहजकर्ता बैठक से पूर्व मॉड्यूल में दी गई विषय-वस्तु और बैठक संचालन प्रक्रिया का ठीक से अध्ययन कर लें।
- यदि बैठक में वीडियो दिखाना है तो, पहले से डाउनलोड करके रखें।
- बैठक के दौरान सहभागियों की प्रतिक्रिया और विचारों का सम्मान करें तथा किसी भी प्रकार की नकारात्मक टिप्पणी न करें ।
- चर्चा को विषय पर केन्द्रित रखें तथा सहभागी बनायें।
- महिला समूह और ग्राम संगठन के सदस्यों की सहभागिता से, बैठक का स्थान, दिनांक और समय तय करें।
- निर्धारित समय से पहले बैठक स्थल पर पहुंचें, ताकि व्यवस्था में कोई कमी हो तो उसे पूरा किया जा सके।
- बैठक शुरू करने से पहले सदस्यों की उपस्थिति का अवलोकन करें, यदि कोई सदस्य बैठकों में लगातार अनुपस्थिति रहता हो तो कारण जानें तथा उचित समाधान तलाशें।
- सहजकर्ता बैठक रिपोर्ट जरूर तैयार करें। इसके लिए किसी सहभागी को नोट लिखने की जिम्मेदारी भी दी जा सकती है।

बैठक की शुरूआत

किसी भी बैठक को प्रभावी बनाने के लिए उसकी अच्छी शुरूआत करना जरूरी होता है। अतः सहजकर्ता बैठक की शुरूआत करने के लिए इन बिन्दुओं पर ध्यान दें -

- बैठक की शुरूआत सहभागियों के मौखिक स्वागत के साथ करें। शुरूआत में कोई बदलावकारी सामाजिक गीत का सामूहिक गान कराया जा सकता है। इससे सदस्यों में सामूहिकता का माहौल बनता है तथा जिन सदस्यों को पहुंचने में देरी है उन्हें भी पहुंचने का समय मिल जायेगा और उनका इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा।
- परिचय सत्र को रोचक बनाने के लिये अलग-अलग विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे प्रकृति द्वारा बनायी गई चीजों से, खाने की चीजों से, पशुओं के नाम के साथ सहभागियों को अपना परिचय देने के लिये कहें।
- बैठक में जिस मुद्दे या विषय पर चर्चा की जानी है, उसके महत्व से अवगत करायें।
- पिछली बैठक में बनायी गई सहभागी कार्ययोजना की प्रगति की समीक्षा करें।

बैठक का समापन

बैठक का समापन बैठक दौरान की गई चर्चा तथा लिए गए निर्णयों का सार होता है। अतः सहजकर्ता बैठक के समापन के समय इन बातों का ध्यान रखें -

- सहभागियों को बैठक में सीखी गई बातों या प्राप्त जानकारियों को प्रस्तुत करने का अवसर दें।
- बैठक में हुई चर्चाओं तथा लिए गए निर्णयों का दोहराव करें। यानी उन्हें फिर से बताएं।
- फील्डवर्क के लिए बनी योजना को पक्का करें तथा जिन सदस्यों ने कोई जिम्मेदारी ली है उसका दोहराव करें।
- बैठक के समापन से पहले अगली बैठक की तारीख, समय एवं स्थान तय करें।

बैठक - 1

महिला शक्ति समूह के उद्देश्य एवं सामाजिक बदलाव में भूमिका

- महिला शक्ति समूह के उद्देश्य एवं सामूहिक ताकत का एहसास कराना।
- परस्पर सहयोग एवं विकास कार्यों में भागीदारी को बढ़ाना।
- दबाव समूह के रूप में सामाजिक बदलाव की परिस्थिति का निर्माण करना।

समयावधि : 2 घंटा

बैठक संचालन प्रक्रिया के चरण

- सामाजिक बदलाव/महिला सशक्तिकरण पर कोई गीत का सामूहिक गान।
- सहभागियों का परिचय ।
- महिला शक्ति समूह के उद्देश्यों पर चर्चा एवं जानकारी प्रदान करना ।
- चयनित उद्देश्यों को प्राप्त करने की कार्ययोजना बनाना ।

सहभागियों का परिचय

चूंकि यह श्रृंखलाबद्ध क्षमतावृद्धि कार्ययोजना की पहली बैठक है, इसलिये सभी सहभागियों का परिचय जरूरी है। परिचय को रोचक बनाने के लिये सहभागियों को किसी प्राकृतिक चीज जैसे - पेड़, पहाड़, जंगल इत्यादि से अपने चरित्र/व्यवहार को जोड़कर परिचय देने के लिये कहें। साथ ही उन्हें यह भी बताने के लिये कहें कि उन्होंने स्वयं को उस चीज विशेष से क्यों जोड़ा? सहजकर्ता इस बात का अवलोकन करें कि क्या महिलायें अधिकतर अपने आप को कोमल, कमजोर, सुंदर, प्राकृतिक चीजों से जोड़ती हैं या अडिग, स्थायी, साहसी महसूस करती हैं।

- परिचय के बाद सहभागियों से पूछें कि - महिला समूहों का गठन किन उद्देश्यों के लिये किया गया है ?
- सहभागियों द्वारा दिये गए जवाबों को चार्ट पेपर पर नोट करते जायें।
- अनुलग्नक -1 में दी गई जानकारी के आधार पर सहभागियों को महिला शक्ति समूह के उद्देश्यों की जानकारी प्रदान करें।

सत्र का उद्देश्य

महिला समूह का गठन बहुआयामी परिवर्तन के उद्देश्य से किया गया है। इसमें महिलाओं के स्वयं के विकास के साथ-साथ परिवार, समाज, गांव और देश के विकास की परिकल्पना की गई है। इसके लिये ग्राम स्तर पर गठित समूहों को सतत मार्गदर्शन एवं क्षमतावृद्धि की आवश्यकता है। महिला समूहों की सामूहिक शक्ति गांव में संचालित विभिन्न योजनाओं और विकास को गति प्रदान करने और विभिन्न सामाजिक बुराईयों, कुरीतियों को

समाप्त कर एक स्वस्थ्य सामाजिक वातावरण निर्माण में मददगार हो सकती है। आज की बैठक में हम इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे।

आगामी माह की कार्ययोजना

सहभागियों से चर्चा कर तय करें कि बैठक में महिला शक्ति समूह के उद्देश्यों के संबंध दी गई जानकारी के आधार पर उनकी जो भी समझ विकसित हुई है, उसको ध्यान में रखते हुए वे किन-किन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आगामी एक माह में काम करना चाहती हैं। नीचे दी गई तालिका अनुसार योजना बनाने के लिये कहें।

पंचायत :		दिनांक : .....
उद्देश्य जिन पर काम करना चाहते हैं	**कैसे करेंगे**	**कौन करेगा**

नोट : सहभागियों को इस बात की जानकारी प्रदान करें कि अगली बैठक में इस कार्ययोजना की प्रगति या किये गए काम की सामूहिक समीक्षा की जायेगी। आगामी बैठक का दिन, समय एवं स्थान का निर्धारण कर बैठक का समापन करें।

बैठक - 2

महिलाओं के लिये संचालित कार्यक्रम एवं योजनाएं

- महिलाओं के लिये संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों पर क्षमतावृद्धि करना।
- योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की स्थिति का आकलन करना।
- योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सुधार की योजना बनाना ।

समयावधि : 2 घंटा

बैठक संचालन प्रक्रिया के चरण

- सामाजिक बदलाव/महिला सशक्तिकरण पर कोई गीत का सामूहिक गान।
- पिछली बैठक में तय किये गये कार्यों के प्रगति की समीक्षा।
- संचालित प्रमुख कार्यक्रम एवं योजनाओं की जानकारी प्रदान करना।
- खेल के माध्यम से योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की स्थिति जानना।
- योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन की योजना बनाना।

विगत माह बनायी गई कार्ययोजना की समीक्षा

सर्वप्रथम पिछली बैठक में तय किये गये कार्यों के प्रगति की समीक्षा करें, क्या हो पाया ? क्या नहीं हो पाया ? किस तरह की समस्या आयी ? इस पर चर्चा करें।

सत्र का उद्देश्य

महिलाओं, बालिकाओं, किशोरियों के कल्याण के लिये सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं एवं कार्यक्रम संचालित हैं। लेकिन जानकारी के अभाव में पात्रता के बावजूद अनेक महिलायें इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाती हैं। हो सकता है आप में से कोई महिला सहभागी किसी योजना के लिये पात्र हो, लेकिन जानकारी के अभाव उसका लाभ नहीं ले पा रही हो। ऐसा आपके अड़ोस-पड़ोस में रहने वाली महिलाओं के साथ भी हो सकता है। आज की बैठक में हम महिलाओं के लिये संचालित प्रमुख योजनाओं और कार्यक्रमों को जानेंगे, साथ ही कुछ प्रमुख योजनाओं के लाभ हेतु पात्रता, आवश्यक दस्तावेज एवं मिलने वाले लाभ पर चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त ग्राम एवं पंचायत स्तर पर जिन योजनाओं और कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है, खेल के माध्यम से उनकी स्थिति का आकलन करेंगे। यदि किसी योजना या कार्यक्रम के संचालन में कमियां हैं तो उन कमियों को दूर कर उस योजना या कार्यक्रम के बेहतर संचालन की योजना बनायेंगे।

महिलाओं के लिये संचालित प्रमुख कार्यक्रम एवं योजनायें

प्रमुख कार्यक्रम/सुविधा केन्द्र	प्रमुख योजनायें
आंगनवाड़ी केन्द्र • 0 से 6 साल के बच्चों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं, किशोरियों को पोषण आहार एवं अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी एवं परामर्श।	**परित्यक्ता, वृद्वा एवं विधवा पेंशन** • पात्र महिलाओं को मासिक पेंशन राशि दी जाती है। • आवश्यक दस्तावेजों के साथ पंचायत में आवेदन किया जा सकता है।
आरोग्य केन्द्र • बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का नियमित टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच एवं पूरक दवाईयां, आवश्यकता पड़ने पर प्रसव एवं जननी एक्सप्रेस की सुविधा एवं रेफरल सुविधा	**संबल योजना** • इस योजना के अंतर्गत पंजीबद्ध हितग्राही या परिवार के सदस्यों को प्रसूति सहायता, छात्रवृति, सामान्य या दुर्घटना में मृत्यु होने पर परिवार को अनुग्रह राशि, अंत्येष्टि सहायता, चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है। • पंचायत एवं श्रम विभाग इस योजना का संचालन करते है एवं पंचायत के माध्यम से इसका पंजीयन कराया जाता है।
पंचायत • महिला सुरक्षा/सम्मान की दृष्टि से वातावरण का निर्माण करना। • महिला मुद्दों को लेकर महिलाओं के साथ मिलकर नियोजन एवं बजट का आवंटन करना। • पंचायत एवं ग्रामसभा के निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना।	**लाडली लक्ष्मी योजना** • लड़की के जन्म पर आंगनवाड़ी द्वारा पंजीयन होता है एवं लडकी की आयु 18 साल होने पर एकमुश्त राशि सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। **बालिकाओं के लिये छात्रवृत्ति** • स्कूल में जाने वाली बालिकाओं को अलग - अलग योजनाओं के अंतर्गत निरंतर अध्ययन के लिये वार्षिक सहयोग मिलता है।
विद्यालय • यह सुनिश्चित करना की ग्राम की हर बालिका विद्यालय की सेवाओं का उपयोग करे। • बालिकाओं को दी जाने वाली सेवाओं का अच्छा प्रबंधन जैसे मध्यान्ह भोजन, लड़कियों के लिये छात्रवृत्ति, गणवेश, साइकिल इत्यादि।	**सुकन्या समृद्धि योजना** • इस योजना का लाभ पोस्ट आफिस में खाता खुलवाकर नियमित रूप से अंशदान की राशि जमा करनी होती है एवं 21 साल के बाद ब्याज सहित एकमुश्त राशि प्राप्त होती है।

नीचे दिये गये बिंदी खेल से योजनाओं/कार्यक्रमों का आकलन

पहला चरण - सहभागियों से पूछें कि पंचायत में कौन-कौन से कार्यक्रम और योजनाएं संचालित हैं। सहभागियों द्वारा बताये गए कार्यक्रम एवं योजनाओं को एक चार्ट पेपर पर लिखते हुए सूची तैयार करें। सहभागियों ने यदि किसी कार्यक्रम और योजना के बारे में नहीं बताया हो तो सहजकर्ता अपनी जानकारी के अनुसार उसे सूची में जोड़ें।

दूसरा चरण - सभी प्रतिभागियों को दो रंग की बिंदियां देकर, उन्हें जिन योजनाओं के बारे में वे जानते है एवं जिनके बारे में नहीं जानते हैं, योजना के सामने अलग-अलग रंग की बिंदी लगाने के लिये कहें।

तीसरा चरण - अब सहभागियों को दो अलग- अलग साईज की बिंदियां दें और उन्हें जिन योजना/कार्यक्रम का संचालन अच्छा हो रहा है उसके सामने बड़े साईज की बिंदी एवं जिन योजना/कार्यक्रम का संचालन कम अच्छा या खराब हो उसके सामने छोटी वाली बिंदी लगाने के लिये कहें।

चौथा चरण - सहभागियों के द्वारा चार्ट पर लगायी गई बिंदियों के आधार पर योजनाओं/कार्यक्रम के बारे में जानकारी और क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा करें तथा इसे बेहतर कैसे बनाया जा सकता है इस पर चर्चा करें।

पांचवा चरण - अनुलग्नक 2 में दी गई महिलाओं से संबंधित प्रमुख योजनाओं की जानकारी प्रदान करें।

आगामी माह के लिये कार्ययोजना

योजनाओं और कार्यक्रमों के संचालन को बेहतर बनाने हेतु आगामी बैठक तक के लिये नीचे दी गई तालिका अनुसार कार्य योजना बनाने के लिये कहें।

पंचायत : ..... **दिनांक : .....**

योजना कार्यक्रम का नाम	क्या कमी है ?	क्या करना होगा ?	जिम्मेदारी

नोट : सहभागियों को इस बात की जानकारी प्रदान करें कि अगली बैठक में इस कार्ययोजना की प्रगति या किये गए काम की सामूहिक समीक्षा की जायेगी। आगामी बैठक का दिन, समय एवं स्थान का निर्धारण कर बैठक का समापन करें।

बैठक - 3

समाज में महिलाओं की स्थिति : सेक्स और जेंडर में भेद

- सेक्स और जेंडर के भेद से अवगत कराना।
- लैंगिक भेदभाव के चलते महिलायें समाज में क्यों और कैसे पीछे छूट जाती हैं इसके कारणों पर समझ बनाना।

समयावधि : 2 घंटा

बैठक संचालन प्रक्रिया के चरण

- सामाजिक बदलाव/महिला सशक्तिकरण पर कोई गीत का सामूहिक गान।
- पिछली बैठक में तय किये गये कार्यों के प्रगति की समीक्षा।
- खेल के माध्यम से लैंगिक भेदभाव महिलाओं के जीवन को किस तरह प्रभावित करता है समझ बनाना।
- सेक्स और जेंडर के फर्क को बताना।
- लैंगिक भेदभाव को रोकने की योजना बनाना।

विगत माह बनायी गई कार्ययोजना की समीक्षा

बैठक की शुरूआत पिछली बैठक में तय किये गये कार्यों की समीक्षा से करें, क्या कर पाये? क्या नहीं कर पाये? क्या परेशानियां आयी ? इन बिंदुओं पर सामूहिक चर्चा करें।

सत्र का उद्देश्य

समाज में महिलाओं के साथ खानपान, रहन-सहन, कामकाज, शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच, सम्पत्ति पर हक जैसे मुददों पर गैर बराबरी की जाती है। यह गैर बराबरी किसी बच्ची के मां के गर्भ में आते ही शुरू हो जाती है। प्रकृति ने महिला एवं पुरूष में सिर्फ जननांगों का भेद रखा है, लेकिन पुरूषवादी समाज ने इस भेद को अलग रूप देते हुए महिला-पुरूष के बीच अनेक भेद पैदा कर दिये। भेदभाव की यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है तथा महिलाओं के विकास और जीवन को बाधित करती है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे।

खेल के माध्यम से सेक्स और जेंडर के बारे में समझ

पहला चरण - बैठक में शामिल सहभागियों को दो समूह में बांटें, एक समूह को पुरूष एवं दूसरे समूह को महिलाओं की भूमिका निभाने के लिये कहें।

दूसरा चरण - सभी को एक लाइन में समानांतर एक दूसरे के बगल में खड़ा करें।

तीसरा चरण - समाज में महिलाओं के प्रति भेदभाव को दर्शाने वाले नीचे दिये गये वाक्यों का वाचन करें।

1. अपनी मर्जी से कभी भी घर के बाहर जा सकते हैं देर रात तक घर से बाहर रह सकते हैं।
2. अपनी पसंद के लड़के या लड़की से शादी कर सकते हैं।
3. घर के बाहर दूसरे शहर में आसानी से पैसा कमाने की अनुमति मिल जाती है।
4. परिवार की संपत्ति में आसानी से हिस्सेदारी मिलती है।
5. परिवार में आये पैसे को कहां खर्च करना है इसका निर्णय ले सकते हैं।
6. काम से वापिस आने के बाद घर में बैठकर टीवी देख सकते हैं।
7. परिवार के सभी निर्णय सिर्फ मेरी मर्जी से लिये जाते हैं।
8. विवाह के बाद आसानी से अपने माता-पिता के साथ रह सकते हैं।
9. परिवार में बने भोजन का अच्छा और बड़ा हिस्सा मुझे खाने को मिलता है
10. शहर में पढ़ने जा सकते हैं।
11. खेत में कौन सी फसल लगानी है इसका निर्णय ले सकते हैं।
12. अपनी पसंद के कपड़े पहन सकते हैं।
13. दोस्त के साथ ज्यादा समय के लिये बाहर घूमने जा सकते हैं।
14. गलती करने पर जीवन साथी को डांट सकते हैं।
15. घर में मेरी पसंद का भोजन बनता है।
16. मेरे परिवार के रीति रिवाज ही माने जाते हैं।
17. विवाह होने पर मुझे दहेज मिलता है।
18. मेरे लिये दूसरा विवाह करना आसान है।
19. मुझे दोस्तों, रिश्तेदारों के लिये उपहार खरीदने और भेंट करने की आजादी है।
20. बीमार होने पर मैं पूरी तरह आराम कर सकता हूं।
21. मेरी पढ़ाई पर घर वालों ने अधिक पैसा खर्च किया।
22. मुझे अपने जीवन साथी के साथ गाली-गलौच या मारपीट करने में डर नहीं लगता।

चौथा चरण - हर वाक्य के वाचन के बाद खेल में शामिल सहभागियों को जो पुरूष एवं महिला की भूमिका में हैं, यदि वाक्य से सहमत हैं या कर सकते हैं तो एक कदम आगे आने के लिये कहें और सहमत नहीं हैं अथवा नहीं कर सकते हैं तो एक कदम पीछे जाने के लिये कहें।

पांचवा चरण - खेल के अंत में देखेंगे कि जो सहभागी पुरूष की भूमिका में थे कैसे आगे बढ़ते गये एवं जो महिला की भूमिका में थे धीरे-धीरे पीछे होते गये।

छठा चरण - पीछे छूटने वालों में किसकी संख्या अधिक है, महिलाओं कि या पुरूषों की, ऐसा क्यों होता है, इसके कारणों और समाधान पर चर्चा करें। इसके उपरांत सेक्स और जेंडर के बीच अंतर को समझायें। सेक्स और जेंडर के बारे में समझायें कि कैसे महिलाओं और पुरूषों के बीच में प्रजनन अंगों को छोड़कर सभी शारीरिक संरचना समान है, जैसे - दो आंख, दो कान, एक नाक, दो हाथ, दो पैर, लेकिन सामाजिक परिस्थितियों के कारण महिलायें अधिकतर पीछे छूट जाती हैं।

सेक्स और जेंडर के बीच अंतर

प्राकृतिक फर्क या सेक्स	सामाजिक फर्क या जेंडर
पैदाइशी और शारीरिक है	• सामाजिक और सांस्कृतिक है और समाज द्वारा बनाया गया है
सेक्स हर समाज में एक ही रहता है	• एक सोच है जो स्त्री-पुरूष के गुण, व्यवहार, भूमिका, अधिकार आदि को गढ़ता है
स्त्री-पुरूष, किन्नर के प्राकृतिक फर्क को बताता है	• प्राकृतिक फर्क को ऊंच-नीच का दर्जा दे देता है
सामान्यतः बदला नहीं जा सकता (कभी कभार ऑपरेशन द्वारा बदला जा सकता है)	• देश,समाज परिवार, धर्म संस्कृति और समय के आधार पर बदलता रहता है

आगामी माह की कार्ययोजना

अपने परिवार में देखें की केवल सामाजिक सोच या मान्यता के कारण महिला-पुरूषों, बेटा-बेटियों में किस तरह का भेदभाव होता है। इन भेदभावों को समाप्त करने हेतु नीचे दी गई तालिका अनुसार कार्य योजना बनाने के लिये कहें।

पंचायत :		दिनांक : .....
परिवार में होने वाले लैंगिक भेदभाव	दूर करने के लिये क्या करेंगे	कौन करेगा

नोट : सहभागियों को इस बात की जानकारी प्रदान करें कि अगली बैठक में इस कार्ययोजना की प्रगति या किये गए काम की सामूहिक समीक्षा की जायेगी। आगामी बैठक का दिन, समय एवं स्थान का निर्धारण कर बैठक का समापन करें।

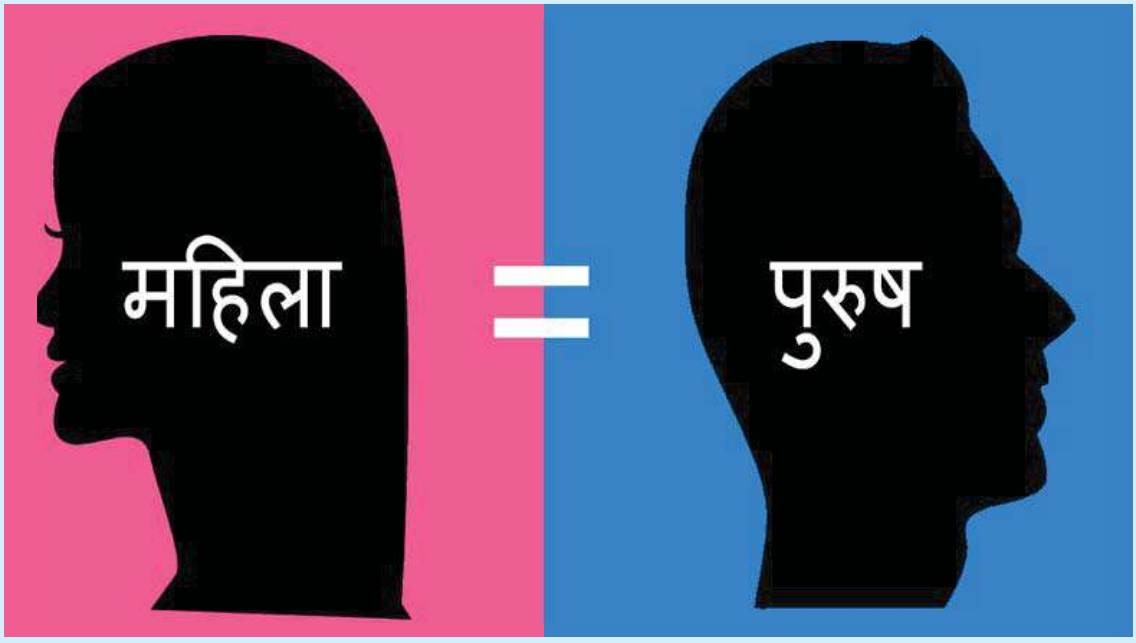

बैठक - 4

महिला हिंसा क्या है?

- महिलाओं के साथ होने वाली विभिन्न प्रकार की हिंसा के विभिन्न रूपों से अवगत कराना।
- ग्राम में हिंसा ग्रसित महिलाओं की सुरक्षा एवं सहयोग हेतु संवेदीकरण करना।

समयावधि : 2 घंटा

बैठक संचालन प्रक्रिया के चरण

- सामाजिक बदलाव/महिला सशक्तिकरण पर कोई गीत का सामूहिक गान।
- पिछली बैठक में तय किये गये कार्यों के प्रगति की समीक्षा।
- केस स्टेडी के माध्यम से हिंसा के विभिन्न रूपों पर समझ बनाना।
- हिंसा के विभिन्न प्रकारों की जानकारी देना तथा इन्हें रोकने हेतु संभावित प्रयासों पर चर्चा।
- हिंसाग्रस्त महिलाओं को सहयोग की योजना बनाना।

विगत माह बनायी गई कार्ययोजना की समीक्षा

बैठक की शुरूआत पिछली बैठक में तय किये गये कार्यों की समीक्षा से करें, क्या कर पाये? क्या नहीं कर पाये? क्या परेशानियां आयी? इन बिंदुओं पर सामूहिक चर्चा करें।

सत्र का उद्देश्य

महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा में घरेलू हिंसा बड़ी संख्या में होती है। हिंसा पीड़ित महिला इसे अपना निजी और पारिवारिक मामला मानकर चुप रह जाती है कि इसमें कोई बाहरी व्यक्ति मेरी मदद करने आगे नहीं आयेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, स्वयं सहायता समूह और ग्राम संगठन के रूप में महिलाओं की सामूहिक ताकत हिंसा पीड़ित महिला को न सिर्फ सुरक्षा एवं सहयोग प्रदान कर सकती है बल्कि महिला के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। आज की बैठक में हम महिलाओं के साथ होने वाली विभिन्न प्रकार की हिंसा के बारे में जानेंगे तथा अपने ग्राम में घरेलू हिंसा से पीड़ित किसी महिला की किस तरह मदद की जा सकती है चर्चा करेंगे।

केस स्टेडी का वाचन

एक महिला जो घरेलू हिंसा से तंग आकर आत्महत्या कर लेती है, बाद में उसके द्वारा अपने पति के नाम लिखा एक पत्र मिलता है। केस स्टेडी पढ़कर सुनायें।

मेरे पति परमेश्वर,

मैं जा रही हूं। मुझे माफ करना .....

जब से मैं तुम्हारे घर में आयी, तुम्हारे घर में समस्यायें पैदा हो गईं है। तुम्हारे घर में मेरा आना शुभ नहीं था। इसलिये मैं जा रही हूं। मेरी हर कोशिश यही होगी कि मैं जिन्दा न रहूं, क्योंकि अगर मैं जिन्दा रही तो मेरा ही नहीं तुम्हारा जीवन भी बर्बाद हो जायेगा। मुझे अस्पताल मत ले जाना। जब मेरा विवाह हुआ तभी तुम्हारी बहन का रिश्ता टूट गया और अगले दो साल तक खेत में फसल भी अच्छे से नहीं हुई। तुम्हारे परिवार वालों ने मुझे दोषी ठहराया और शायद यही सच है।

मैं पेट में पल रहे तुम्हारे बच्चे को भी अपने साथ लिये जा रही हूं। जांच के बाद जब से यह पता चला कि यह बच्चा लडकी है तब से तुम और तुम्हारे परिवार के लोग बहुत दुखी हैं और तब से कह रहे थे कि इस बच्चे को गिरवा दो। इसलिये मैं इस बच्चे को साथ ले जा रही हूं ताकि परिवार के बाकी लोग दुखी न हों।

तुम्हारी इच्छा दुबारा शादी करने की थी, सो तुम कर लेना। दहेज में, मैं जो कपड़े साथ लायी थी उन्हें जला देना या मेरे माता-पिता को वापस दे देना। तुम्हारे परिवार ने मुझे जो कपड़े दिये थे उन्हें इस्त्री करा कर नई बहु के लिये रख देना।

जब नई बहु घर में आये तो उसकी बात सुनना, उससे झगड़ा मत करना। अगर उसके रिश्तेदार तुम पर ध्यान न दें तो भी खुश रहने की कोशिश करना। नहीं तो उसका जीवन बर्बाद हो जायेगा। अगर वह अकेले में तुमसे कोई बात कहे तो घर में किसी और को कभी मत बताना .....

केस स्टडी के आधार पर प्रतिभागियों से पूछें कि -

1. महिला ने आत्महत्या क्यों की होगी?
2. क्या महिला के साथ किसी प्रकार का अन्याय/हिंसा हो रही थी ?
3. इस केस के माध्यम से महिला हिंसा के विभिन्न रूप के बारे में पूछें।

इसके बाद आगे दी गई महिला हिंसा के विभिन्न प्रकारों की जानकारी प्रदान करें -

महिलाओं के साथ हिंसा के विभिन्न रूप

- **शारीरिक हिंसा :** मारपीट करना, हथियार के द्वारा या बिना हथियार के चोट पहुंचाना, प्रताड़ना के कारण गर्भपात होना, जबरन गर्भपात कराना, दहेज के लिये मारपीट करना।
- **यौनिक हिंसा :** यौनिक हमले जैसे बलात्कार, जबरन यौन संपर्क करना, जबरन विवाह या बाल विवाह करना, बच्चों का यौन शोषण।
- **आर्थिक हिंसा :** भोजन, कपड़ा, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल की सुविधाओं से वंचित रखना, दहेज की मांग करना, अपनी कमाई पर हक न होना आदि।
- **भावनात्मक हिंसा :** गाली-गलौच व ताने देना, मां को बच्चों पर अधिकार से वंचित रखना, गर्भपात के लिये मजबूर करना, दहेज के लिये दबाव बनाना, लड़का पैदा न होने का दोष देना।

महिला हिंसा की रोकथाम में समूह और ग्राम संगठन की क्या भूमिका हो सकती है इस पर चर्चा करें।

हिंसा का प्रकार	रोकथाम के प्रयास
1. शारीरिक हिंसा	
2. यौनिक हिंसा	
3. आर्थिक हिंसा	
4. भावानात्मक हिंसा	

आगामी माह की कार्ययोजना

गांव में हिंसा ग्रसित महिलाओं को सहयोग की योजना बनायें। जरूरी नहीं है कि इसकी शुरूआत बहुत बड़े सहयोग से की जाये, छोटे सहयोग से भी शुरूआत की जा सकती है।

पंचायत : ..... **दिनांक : .....**

हिंसा ग्रसित महिला को सहयोग	कैसे करेंगे	कौन करेगा

नोट : सहभागियों को इस बात की जानकारी प्रदान करें कि अगली बैठक में इस कार्ययोजना की प्रगति या किये गए काम की सामूहिक समीक्षा की जायेगी। आगामी बैठक का दिन, समय एवं स्थान का निर्धारण कर बैठक का समापन करें।

बैठक - 5

पितृसत्ता क्या है?

- पितृसत्ता क्या है? यह किस तरह महिलाओं के जीवन को प्रभावित करती है जानकारी प्रदान करना।
- पितृसत्तात्मक सोच में बदलाव पर समझ बनाना।

समयावधि : 2 घंटा

बैठक संचालन प्रक्रिया के चरण

- सामाजिक बदलाव/महिला सशक्तिकरण पर कोई गीत का सामूहिक गान।
- पिछली बैठक में तय किये गये कार्यों के प्रगति की समीक्षा।
- वीडियो प्रदर्शन।
- वीडियो से मिली सीख पर सामहिक चर्चा।
- महिलाओं के साथ गैर बराबरी के व्यवहार को रोकने की कार्ययोजना बनाना।

विगत माह बनायी गई कार्ययोजना की समीक्षा

बैठक की शुरूआत पिछली बैठक में तय किये गये कार्यों की समीक्षा से करें, क्या कर पाये? क्या नहीं कर पाये? क्या परेशानियां आयी? इन बिंदुओं पर सामूहिक चर्चा करें।

सत्र का उद्देश्य

पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था में ये देखा जाता है कि पारिवारिक या सामाजिक स्तर पर अधिकांशतः निर्णय पुरूषों के द्वारा लिये जाते हैं। इस तरह के किसी भी निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी नहीं होती है। निर्णय लेने का चलन जो पितृसत्तात्मक समाज में है, वो कहीं ना कहीं महिलाओं के विकास की प्रक्रिया को बाधित करता है और उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है। ऐसा भी नहीं है कि इस व्यवस्था को बदला नहीं जा सकता, इसमें बदलाव संभव है। आज की बैठक में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे।

वीडियो के माध्यम से सत्ता और पितृसत्ता की समझ : सहजकर्ता मोबाईल, लेपटॉप या प्रोजेक्टर के माध्यम से निम्न लिंक पर क्लिक कर वीडियो प्रदर्शित करें।

- **पहला वीडियो :** यह वीडियो सत्य घटना पर बनी फिल्म ''सांड की आंख'' से है, जिसमें बताया गया है कि पुरूषवादी पितृसत्ता किस तरह महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकती है। लेकिन उत्तर प्रदेश के बागपत जिले की दो बुजुर्ग महिलाओं ने इसका विरोध एवं मुकाबला कर सफलता की कहानी गढ़ी।

  वीडियो लिंक : https://www.youtube.com/watch?v=koxBLT1--0Eg

- **दूसरा वीडियो :** यह वीडियो भी ''सांड की आंख'' फिल्म से ही है, जिसमें यह बताने का प्रयास किया है कि यदि हौंसला बुलंद हो तो अधिक उम्र भी सफलता पाने में बाधा नहीं बन सकती।

  वीडियो लिंक : https://www.youtube.com/watch?v=kgqLvf8NxOLw

- तीसरा वीडियो : यह वीडियो धारावाहिक ''सत्यमेव जयते'' से है, यह भी सत्य घटना पर आधारित है जिसमें बताया गया है कि देश के विभिन्न स्थानों पर पुरूषों ने कैसे मर्दानगी वाली सोच को बदला और उनके परिवार में खुशहाली आयी।

  वीडियो लिंक : https://www.youtube.com/watch?v=kDuNZlmTgfXI

तीनों वीडियो की समाप्ति पर प्रतिभागियों से इस बात पर चर्चा करें कि इन वीडियो से क्या सीख मिलती है, नीचे दिये गये प्रश्नानुसार चर्चा करें।

- दोनों महिलाओं (दादी) के पास बंदूक चलाने का हुनर था और वे मेडल जीतते जा रही थी लेकिन यह बात उन्हें परिवार से क्यों छुपानी पड़ रही थी ?
- परिवार को पता चलने के बाद दोनों महिलाओं ने उनके साथ मारपीट एवं विवाद की स्थिति का सामना कैसे किया ?
- क्या हर जगह, हर समाज में ऐसा होता है ?
- ऐसा क्यों होता है ?
- क्या इस तरह की सत्ता/हक पुरूष के पास अधिक है ?

इस तरह का हक या सत्ता जो सिर्फ पुरूष होने के कारण समाज में आसानी से मिल जाती है और स्त्री होने के कारण गुण/हुनर के बावजूद नहीं मिलती या आसानी से नहीं मिल पाती, इसे ही पितृसत्ता कहते हैं। आपने वीडियो में देखा कि पुरूषों के हाथ में सत्ता/पितृसत्ता होने के कारण महिलाओं को अवसर नहीं मिल पाते यदि कोई महिला कोशिश भी करे तो पुरूष उन पर अनुचित दबाव डालते हैं ?

तीसरे वीडियो में क्या देखा -

1. क्या महिला और पुरूष के बीच में सामाजिक संतुलन दिख रहा है।
2. क्या पुरूष महिलाओं का सहयोग कर सकते हैं।
3. क्या इस तरह की स्थिति अच्छे सामाजिक वातावरण का निर्माण कर सकती हैं।

सहजकर्ता अनुलग्नक-3 में दी गई जानकारी का उपयोग कर पितृसत्ता/सत्ता के बारे में जानकारी प्रदान करें।

आगामी माह की कार्ययोजना

क्षेत्र में प्रचलित पुरूषों के ऐसे व्यवहार जो महिलाओं को बराबरी करने से रोकते हैं, इसे रोकने के लिये क्या प्रयास किये जा सकते हैं इस पर चर्चा करें और नीचे दी गई तालिका अनुसार आगामी माह की कार्ययोजना बनाने के लिये कहें।

पंचायत :		दिनांक : .....
महिला गैर बराबरी वाले व्यवहार	क्या करना होगा ?	कौन करेगा ?

नोट : सहभागियों को इस बात की जानकारी प्रदान करें कि अगली बैठक में इस कार्ययोजना की प्रगति या किये गए काम की सामूहिक समीक्षा की जायेगी। आगामी बैठक का दिन, समय एवं स्थान का निर्धारण कर बैठक का समापन करें।

बैठक - 6

महिला सुरक्षा के लिये सेफ्टी ऑडिट

- महिलाओं और लड़कियों के लिये असुरक्षित स्थानों का चिन्हांकन करना।
- असुरक्षित स्थानों को सुरक्षित बनाने की योजना बनाना।

समयावधि : 2 घंटा

बैठक संचालन प्रक्रिया के चरण

- सामाजिक बदलाव/महिला सशक्तिकरण पर कोई गीत का सामूहिक गान।
- पिछली बैठक में तय किये गये कार्यों के प्रगति की समीक्षा।
- महिलाओं और लड़कियों के लिये सुरक्षित-असुरक्षित स्थानों की मैपिंग।
- असुरक्षित स्थानों को सुरक्षित बनाने की योजना बनाना।
- महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा हेतु किये जाने वाले कार्यों की कार्ययोजना बनाना।

विगत माह बनायी गई कार्ययोजना की समीक्षा

बैठक की शुरूआत पिछली बैठक में तय किये कार्यों की समीक्षा से करें, क्या कर पाये ? क्या नहीं कर पाये ? क्या परेशानियां आयी ? इन बिंदुओं पर सामूहिक चर्चा करें।

सत्र का उद्देश्य

गांव और पंचायत में बहुत से ऐसे स्थान होते हैं, जहां महिलाओं और लड़कियों को जाने में असुरक्षा महसूस होती है या डर लगता है। कुछ स्थान ऐसे हो सकते हैं जहां दिन में डर नहीं लगता लेकिन रात में डर लगता है, कुछ स्थान ऐसे भी हो सकते हैं जहां किसी समय विशेष में डर लगता है। आज की बैठक में हम इन स्थानों की पहचान करना तथा इन्हें सुरक्षित बनाने के उपायों पर बात करेंगे।

- **प्रथम चरण -** सहभागियों को एक बड़ा चार्ट पेपर देकर उन्हें महिलाओं और लड़कियों के द्वारा उपयोग किये जाने वाले गांव के प्रमुख रास्ते व स्थानों का नक्शा बनाने के लिये कहें।
- **दूसरा चरण -** नक्शे पर चिन्हित रास्ते और स्थानों में से जिन्हें वे सुरक्षित मानती हैं हरे रंग की बिंदी, जहां थोड़ा कम डर लगता है उन स्थानों को पीले रंग की बिंदी तथा जिन स्थानों पर अधिक डर एवं असुरक्षा महसूस होती है

लाल रंग की बिंदी से चिन्हांकित करने के लिये कहें।

- **तीसरा चरण -** पीले और लाल रंग की बिंदी वाले रास्ते व स्थानों पर असुरक्षा एवं डर के कारणों एवं इन्हें सुरक्षित बनाने के लिये क्या-क्या वैकल्पिक उपाय हो सकते हैं इस पर चर्चा करें।
- **चौथा चरण -** चिन्हित किये गये असुरक्षित स्थानों को महिलाओं के लिये सुरक्षित बनाने हेतु ग्राम संगठन को पंचायत में किस तरह लिखित मांग करनी होगी इस पर बात करें। इसमें से कुछ कार्यों को ग्राम पंचायत विकास योजना में शामिल करवाने की आवश्यकता भी हो सकती है।

आगामी माह की कार्य योजना

आज की बैठक में दी गई जानकारी अनुसार अगली बैठक तक पंचायत में महिलाओं और लड़कियों के लिये डर एवं हिंसा संभावित स्थानों की पहचान कर उन्हें सुरक्षित बनाने के लिये क्या करना होगा, नीचे दी गई तालिका अनुसार योजना बनाकर लाने के लिये कहें।

पंचायत : ..... दिनांक : .....

स्थान	डर का कारण	क्या करने की आवश्यकता है

नोट : सहभागियों को इस बात की जानकारी प्रदान करें कि अगली बैठक में इस कार्ययोजना की प्रगति या किये गए काम की सामूहिक समीक्षा की जायेगी। आगामी बैठक का दिन, समय एवं स्थान का निर्धारण कर बैठक का समापन करें।

बैठक - 7

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण कानून

- अधिनियम के क्रियान्वयन से जुड़ी प्रमुख एजेंसियां व सेवा प्रदाता संस्थाओं के बारे में जानकारी प्रदान करना।
- हिंसा ग्रसित महिला के कानूनी अधिकारों से अवगत कराना।

समयावधि : 2 घंटा

बैठक संचालन प्रक्रिया के चरण

- सामाजिक बदलाव/महिला सशक्तिकरण पर कोई गीत का सामूहिक गान।
- पिछली बैठक में तय किये गये कार्यों के प्रगति की समीक्षा।
- घरेलू हिंसा कानून अनुसार हिंसा पीड़िता और हिंसा करने वाले व्यक्ति की परिभाषा।
- कानून के क्रियान्वयन से जुड़ी विभिन्न एजेन्सियां एवं सेवा प्रदाता संस्थाएं एवं इनकी भूमिका।
- हिंसा ग्रसित महिला के कानूनी अधिकार।
- महिला हिंसा के मामलों के निराकरण में पंचायतों की भूमिका।
- हिंसा पीड़ित महिलाओं के सहयोग हेतु व्यक्तियों / निकायों के पहचान की योजना बनाना।

विगत माह बनायी गई कार्ययोजना की समीक्षा

बैठक की शुरूआत पिछली बैठक में तय किये कार्यों की समीक्षा से करें, क्या कर पाये? क्या नहीं कर पाये? क्या परेशानियां आयी? इन बिंदुओं पर सामूहिक चर्चा करें।

सत्र का उद्देश्य

देश में ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्र में महिलाओं के साथ बड़े पैमाने पर घरेलू हिंसा होती है। घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने और समाज में इन घटनाओं को रोकने के लिये 26 अक्टूबर, 2006 से ''घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005'' लागू है। लेकिन कानून के बारे में उचित जानकारी के अभाव में हिंसा ग्रसित महिलायें अपनी सुरक्षा एवं अधिकारों के लिये इसका उपयोग नहीं कर पाती हैं। आज की बैठक में हम इस कानून से जुड़ी प्रमुख जानकारियों पर बात करेंगे और एक हिंसा ग्रस्त महिला अपनी सुरक्षा एवं अधिकार के लिये कैसे इस कानून के प्रावधानों का उपयोग कर सकती है जानेंगे।

''घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005''

1. कानून के अनुसार घरेलू हिंसा क्या है?

ऐसा कार्य जिससे किसी महिला एवं उसके 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिये स्वास्थ्य, सुरक्षा,

जीवन का संकट, आर्थिक हानि और ऐसी असहनीय क्षति जिससे महिला व बच्चे को दुःख एवं अपमान सहना पड़े, सभी को घरेलू हिंसा के दायरे में शामिल किया गया है।

2. हिंसा पीड़िता महिला कौन है?

वह महिला जिसके साथ किसी घरेलू नातेदारी वाले व्यक्ति द्वारा हिंसा की गई है, उसे कानून के तहत हिंसा पीड़िता माना गया है।

3. घरेलू नातेदारी में कौन-कौन शामिल हैं ?

घरेलू नातेदारी का मतलब किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच उन संबंधों से है, जिसमें वे या तो साझा गृहस्थी में एक साथ रहते हैं या पहले कभी रह चुके हैं। इसमें निम्न संबंध शामिल हो सकते हैं -

- **खूनी रिश्ता** - मां-बेटा, पिता-पुत्री, भाई-बहिन, आदि।
- **वैवाहिक रिश्ता** - पति-पत्नी, सास-बहू, ससुर-बहु, देवर-भाभी, ननद परिवार, विधवा के परिवार के अन्य सदस्यों से संबंध।
- **दत्तक ग्रहण** - गोद लेने से उपजे संबंध, जैसे - गोद ली हुई बेटी और पिता।
- **शादी जैसे रिश्ते** - लिव इन संबंध, कानूनी तौर पर अमान्य विवाह (उदाहरण के लिये पति ने दूसरी बार शादी की है अथवा पति-पत्नी के बीच खून का रिश्ता होने के कारण विवाह अवैध है)

4. कानून के अनुसार दोषी व्यक्ति की परिभाषा

कोई भी वयस्क पुरूष जो पीड़ित महिला की घरेलू नातेदारी में है या रहा है, और जिसके विरूद्ध हिंसा पीड़िता ने आरोप लगाया है।

5. क्रियान्वयन एजेन्सियां एवं उनके कर्तव्य

संरक्षण अधिकारी

- महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारियों को इसका प्रभार सौंपा गया है।
- घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कर मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करना तथा इसकी प्रतिलिपि जिस क्षेत्र में घटना घटी है वहां के पुलिस थाना एवं सेवा प्रदाता संस्थाओं को उपलब्ध कराना।

सेवा प्रदाता संस्थायें

- पीड़ित महिला को चिकित्सा, वित्तीय, विधिक एवं अन्य सहायता हेतु नियुक्त स्वयं सेवी संस्थाएं।
- पीड़ित महिला की रिपोर्ट लिखना और उसकी एक प्रति उस क्षेत्र के संरक्षण अधिकारी तथा मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करना, जिस क्षेत्र में हिंसा हुई है।
- घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला की मेडिकल जांच करवाना और संबंधित अधिकारी तथा पुलिस थाने को चिकित्सीय परीक्षण की रिपोर्ट (मेडिकल रिपोर्ट) भेजना।

- यदि पीड़ित महिला आश्रय गृह में रहना चाहती है तो उसे आश्रय गृह उपलब्ध करवाना और इसकी रिपोर्ट संबंधित पुलिस थाने में प्रस्तुत करना।

परामर्श दाता

- संरक्षण अधिकारी द्वारा नियुक्त परामर्शदाता, जहां तक संभव हो परामर्शदाता महिला होगी।
- मजिस्ट्रेट के निर्देश पर हिंसा पीड़िता तथा दोषी व्यक्ति को अलग-अलग या संयुक्त रूप से परामर्श देना।

पुलिस

- गंभीर हिंसा के मामलों में भारतीय दंड संहिता के अधीन पीड़िता को शिकायत दर्ज कराने की जानकारी देना।

6. हिंसा पीड़ित महिला के अधिकार

घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला को न्यायालय से निम्न आदेश प्राप्त करने का अधिकार है -

- **संरक्षण आदेश :** हिंसा करने वाले व्यक्ति पर भविष्य में किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा करने पर रोक संबंधी आदेश।
- **निवास आदेश :** यदि पीड़िता साझी गृहस्थी में रहना चाहे तो उसे साझी गृहस्थी में रहने और बेदखल न करने का आदेश।
- **अभिरक्षा आदेश :** यदि हिंसा ग्रस्त महिला को अपने बच्चों की सुरक्षा का खतरा हो तो वह बच्चों को अस्थाई रूप से अपने पास रखने का आदेश प्राप्त कर सकती है।
- **आर्थिक सहायता आदेश :** चिकित्सा एवं भरण-पोषण खर्च पूर्ति उपलब्ध कराने के संबंध में आदेश और घरेलू हिंसा से महिला को हुई शारीरिक एवं मानसिक क्षतिपूर्ति की भरपाई के संबंध में आदेश।
- **निःशुल्क वकील की सहायता :** हिंसा ग्रस्त महिला को न्यायालय में अपना केस लड़ने के लिये निःशुल्क वकील की सहायता प्राप्त करने का अधिकार है।

7. घरेलू हिंसा की शिकायत कहां की जा सकती है ?

घरेलू हिंसा की शिकायत संरक्षण अधिकारी के कार्यालय में, निकटतम पुलिस थाने में, सेवा प्रदाता संस्था या न्यायालय में से कहीं भी दर्ज करायी जा सकती है।

8. कौन-कौन शिकायत कर सकता है ?

पीड़िता खुद शिकायत कर सकती है अथवा उसकी ओर से कोई भी व्यक्ति जिसे लगता है कि, महिला के साथ घरेलू हिंसा हुई है अथवा होने का अंदेशा है संरक्षण अधिकारी को सूचित कर सकता है। यदि सूचना देने वाले व्यक्ति ने सद्भावना में यह काम किया है तो जानकारी की पुष्टि न होने पर भी उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं की जाएगी।

आगामी माह की कार्ययोजना

गांव में ऐसे कौन-कौन से संगठन या निकाय और व्यक्ति हैं जो हिंसा पीड़ित महिलाओं की मदद में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इनमें से किससे किस प्रकार का सहयोग लिया जा सकता है, नीचे दी गई तालिका अनुसार योजना तैयार कर, अगली बैठक तक इन संगठन/निकाय और व्यक्तियों से संपर्क कर उनकी सहमति लेकर आने के लिये कहें।

पंचायत : ..... दिनांक : .....

व्यक्ति/निकाय का नाम जिससे सहयोग अपेक्षित है	अपेक्षित सहयोग	सहमति हॉ/नहीं

नोट : सहभागियों को इस बात की जानकारी प्रदान करें कि अगली बैठक में इस कार्ययोजना की प्रगति या किये गए काम की सामूहिक समीक्षा की जायेगी। आगामी बैठक का दिन, समय एवं स्थान का निर्धारण कर बैठक का समापन करें।

बैठक - 8

महिलाओं से जुड़े कानूनी अधिकार

- महिलाओं की सुरक्षा एवं लैंगिक भेदभाव की रोकथाम से संबंधित विभिन्न कानूनी अधिकारों की जानकारी प्रदान करना।
- सामाजिक कुप्रथाओं की रोकथाम के कानूनी प्रावधानों से अवगत कराना।

समयावधि : 2 घंटा

बैठक संचालन प्रक्रिया के चरण

- सामाजिक बदलाव/महिला सशक्तिकरण पर कोई गीत का सामूहिक गान।
- पिछली बैठक में तय किये गये कार्यों के प्रगति की समीक्षा।
- महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा एवं कल्याण से जुड़े विभिन्न कानून एवं उनके प्रमुख प्रावधानों की जानकारी प्रदान करना।
- कानूनी प्रावधानों के अनुसार हिंसा और भेद-भाव की घटनाओं को रोकने की कार्ययोजना बनाना।

विगत माह बनायी गई कार्ययोजना की समीक्षा

बैठक की शुरूआत पिछली बैठक में तय किये कार्यों की समीक्षा से करें, क्या कर पाये? क्या नहीं कर पाये? क्या परेशानियां आयी? इन बिंदुओं पर सामूहिक चर्चा करें।

सत्र का उद्देश्य

महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, कल्याण तथा कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिये समय-समय पर विभिन्न कानून लागू किये गये। लेकिन जमीनी स्तर पर इन कानूनों के बारे में जानकारी नहीं होने के कारण लोग इन कानूनी प्रावधानों का उपयोग नहीं कर पाते। आज की बैठक में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा एवं कल्याण से जुड़े कुछ प्रमुख कानूनों के बारे में जानेंगे।

महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े प्रमुख कानून

1. **लिंग चयन प्रतिबंध अधिनियम, 1994**

   यह कानून गर्भधारण और प्रसव पूर्व लिंग पहचान की तकनीक के इस्तेमाल को प्रतिबंधित कर कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार देता है।

2. **दहेज निषेध अधिनियम, 1961**

   इस अधिनियम के अंतर्गत दहेज लेने, देने या इसके लेन-देन करने एवं सहयोग करने पर

अधिकतम 10 साल की सजा और 10,000 रुपए या ली गयी, दी गयी या मांगी गयी दहेज की रकम, दोनों में से जो भी अधिक हो, के बराबर कर दिया गया है। हालाँकि अदालत ने न्यूनतम सजा को कम करने का फैसला किया है लेकिन ऐसा करने के लिए अदालत को जरूरी और विशेष कारणों की आवश्यकता होती है (दहेज़ निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4)। दहेज के लिए उत्पीड़न करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए जो कि पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा सम्पत्ति अथवा कीमती वस्तुओं के लिए अवैधानिक मांग के मामले से संबंधित है।

यदि किसी लड़की की विवाह के सात साल के भीतर असामान्य परिस्थितियों में मौत होती है और यह साबित कर दिया जाता है कि मौत से पहले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 304-बी के अन्तर्गत लड़की के पति और रिश्तेदारों को कम से कम सात वर्ष से लेकर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।

3. **पोस्को एक्ट**

भारतीय संविधान में किशोरों के लिये अलग कानून की आवश्यकता महसूस की गई एवं 1992 में इस एक्ट को संविधान में शामिल किया गया। जो कि मूल रूप बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराधों की रोकथाम के लिये बनाया एवं लागू किया गया है।

4. **बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006**

भारत में यह अधिनियम 1 नवम्बर 2007 से लागू है। इस अधिनियम के अनुसार, बाल विवाह वह है जिसमें लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम या लड़की की उम्र18 वर्ष से कम हो। ऐसे विवाह को बाल विवाह निषेध अधियिम 2006 द्वारा प्रतिबंधित किया गया है।

5. **विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987**

यह कानून किसी भी तरह की हिंसा से ग्रस्त सभी वर्ग की महिलाओं को निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार देता है।

6. **कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013**

कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न के खिलाफ महिलाओं को शिकायत कराने का अधिकार देता है, पंचायत भी एक कार्यस्थल है।

आगामी माह की कार्ययोजना

बैठक में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा एवं कल्याण से संबंधित कानूनों पर दी गई जानकारी के आधार पर सहभागियों से पूछें कि उनके ग्राम में कौन सी ऐसी घटनायें या कार्य हैं जिन्हें इन कानूनों की मदद से रोका जा सकता है? इसमें महिला शक्ति समूह की भूमिका क्या होगी ?

पंचायत :		दिनांक : .....
घटनायें / कार्य	महिला शक्ति समूह क्या करेगा ?	कैसे करेगा ?

नोट : सहभागियों को इस बात की जानकारी प्रदान करें कि अगली बैठक में इस कार्ययोजना की प्रगति या किये गए काम की सामूहिक समीक्षा की जायेगी। आगामी बैठक का दिन, समय एवं स्थान का निर्धारण कर बैठक का समापन करें।

बैठक - 9

महिला हिंसा से जुड़े मामलों में पंचायत की भूमिका

- महिला हिंसा से जुड़े मामलों में पंचायत की भूमिका से अवगत कराना।
- महिला हिंसा के मामलों के निराकण में अन्य संस्थाओं की तुलना में पंचायत क्यों ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस पर समझ बनाना।

समयावधि : 2 घंटा

बैठक संचालन प्रक्रिया के चरण

- सामाजिक बदलाव/महिला सशक्तिकरण पर कोई गीत का सामूहिक गान।
- पिछली बैठक में तय किये गये कार्यों के प्रगति की समीक्षा।
- पंचायत क्षेत्र के आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय में पंचायत की भूमिका।
- ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सुरक्षा से जुड़ी अन्य संस्थाओं की तुलना में पंचायत का महत्व।
- लैंगिक भेद-भाव और हिंसा की रोकथाम में पंचायत से सहयोग की योजना बनाना।

विगत माह बनायी गई कार्ययोजना की समीक्षा

बैठक की शुरूआत पिछली बैठक में तय किये कार्यों की समीक्षा से करें, क्या कर पाये? क्या नहीं कर पाये? क्या परेशानियां आयी? इन बिंदुओं पर सामूहिक चर्चा करें।

सत्र का उद्देश्य

हमारे देश में पंचायत राज व्यवस्था से पहले भी पंचायतें अस्तित्व में रही हैं। हालांकि इनका स्वरूप अनौपचारिक था एवं इनकी कोई वैधानिक पहचान नहीं थी फिर भी बहुत सारे सामाजिक और पारिवारिक विवादों के निपटारे इन पंचायतों के द्वारा किये जाते थे। इन पंचायतों में शामिल पंचों को परमेश्वर का रूप माना जाता था। जब से देश में पंचायत राज व्यवस्था लागू हुई है, पंचायतों को वैधानिक दर्जा मिला गया है। इसके अलावा अपने क्षेत्र के आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना बनाना और उसका क्रियान्वयन करना पंचायतों की वैधानिक जिम्मेदारी भी है। इसमें सामाजिक न्याय की बात पंचायतों की महिलाओं के सम्मान, उनके अधिकार और सुरक्षा हेतु पंचायतों को जिम्मेदार बनाती है। आज की बैठक में हम महिलाओं से जुड़े विवादों या महिला हिंसा के मामलों में पंचायतें क्या भूमिका निभा सकती हैं, इस संबंध में चर्चा करेंगे।

- सहजकर्ता सहभागियों से पूछें कि ऐसी कौन-कौन सी जगह या संस्थागत व्यवस्था है जहां कोई

भी हिंसा की शिकार महिला मदद की मांग कर सकती है।

- सहभागियों की ओर से जवाब आने दें, यदि कोई प्रतिक्रिया न आये तो सहजकर्ता फेसिलिटेट कर उन्हें बोलने के लिये प्रेरित करें और उनके जवाबों को चार्ट पेपर पर नोट करते जायें।
- सहभागियों की ओर से पुलिस थाना, कोर्ट, संरक्षण अधिकारी आदि जवाब आ सकते हैं, हो सकता है कोई सहभागी पंचायत का नाम भी बताये। यदि पंचायत का नाम किसी सहभागी ने नहीं बताया हो तो सहजकर्ता सहभागियों की सहमति लेकर सूची में शामिल करें।
- अब सहभागियों से पूछें कि इन स्थानों या संस्थाओं में से कौन सबसे ज्यादा करीब है और वहां पहुंचना किसी भी महिला के लिये आसान है।
- सहजकर्ता इस पूरे अभ्यास के माध्यम से सहभागियों की इस बात पर समझ बनाने का प्रयास करें कि पंचायत उनके सबसे पास है और पंचायत में पहुंचना भी आसान है। दूसरी तरफ यदि पुलिस थाना या अन्य जो भी व्यवस्थायें हैं, उनकी दूरी और इन संस्थाओं के प्रति जो एक आम छबि लोगों के मन में है उसके चलते किसी महिला को वहां पहुंचने में मुश्किल हो सकती है।
- पंचायतें अपने गांव में ही होती हैं, यहां पहुंचने के लिये किसी आवागमन के साधन या किसी व्यक्ति के सहयोग और सिफारिश की आवश्यकता नहीं है। पंचायत में जो भी चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, सभी गांव के होते हैं इसलिये कोई भी महिला इनसे मिल सकती है और अपनी बात रख सकती है।
- सहजकर्ता नीचे दी गई महिला हिंसा के मामलों में पंचायत की भूमिका को सहभागियों के साथ साझा करें।

महिला हिंसा से जुड़े विवादों में पंचायतें क्या कर सकती हैं ?

- पंचायत क्षेत्र के आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना बनाना और उसे क्रियान्वित करना पंचायत की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। हर वर्ग, हर व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और उन्हें विकास हेतु उचित अवसर प्रदान करना पंचायतों का दायित्व है। महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा सामाजिक न्याय के दायरे में आती है। किसी महिला के साथ हिंसा व्यक्तिगत मामला नहीं है यह एक सार्वजनिक मामला है और इस तरह के मामलों में पंचायतों को हस्तक्षेप करने का न सिर्फ अधिकार है बल्कि जिम्मेदारी भी है। पीड़ित महिला को हर संभव सहायता प्रदान करना पंचायत की नैतिक जिम्मेदारी है।
- पंचायतों को सामुदायिक सहयोग से ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिये कि किसी महिला एवं लड़की के साथ किसी भी प्रकार से भेदभाव और हिंसा की घटनाएं न हो, बल्कि लोग इनके साथ समानता और सम्मान के साथ पेश आयें।
- ग्राम सभा लैंगिक भेदभाव और हिंसा की रोकथाम हेतु ग्राम सभा में नियम बनाकर, दंड का प्रावधान कर लागू करा सकती है।

- यदि कोई घरेलू हिंसा की घटना सामने आती है तो पंचायतों का पहला प्रयास यह होना चाहिये कि वह हिंसा पीड़िता और हिंसा करने वाले, दोनों पक्ष को बुलाकर उचित परामर्श एवं समझाईश देकर सुलह कराने का प्रयास करे।
- यदि सुलह हो जाता है तो इसका लिखित पंचनामा तैयार कर इस पर दोनों पक्षों के साथ-साथ पंचायत प्रतिनिधियों और गवाहों के हस्ताक्षर अवश्य कराएं।
- पंचनामा तीन प्रतियों में बनाया जाये एक-एक प्रति दोनों पक्षों को प्रदान कर, एक प्रति पंचायत रिकार्ड में सुरक्षित रखी जाये।
- सुलह कराने के लिये पंचायतें ग्राम या सामजिक पंचायतों के प्रमुख व्यक्तियों का सहयोग भी ले सकती हैं।
- सुलह कराने हेतु पंचायतें हिंसा करने वाले व्यक्ति को कानूनी प्रावधानों के तहत सजा के प्रावधान से भी अवगत करा सकती हैं।
- यदि सुलह करा पाना संभव न हो तो पंचायत हिंसा पीड़िता को पुलिस थाना या संरक्षण अधिकारी के पास रिपोर्ट दर्ज कराने एवं त्वरित सहायता जैसे - रहने के लिये सुरक्षित स्थान, भोजन पानी की व्यवस्था, इलाज आदि के लिये मदद कर सकती है।
- घरेलू हिंसा की रिपोर्ट दर्ज कराने में पंचायतें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की मदद ले सकती हैं।

आगामी माह की कार्ययोजना

सहजकर्ता महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव या हिंसा से जुड़े ऐसे मुद्दे जो बड़ी संख्या में महिलाओं को प्रभावित करते हैं, उनके समाधान हेतु पंचायत से सहयोग की योजना बनाने और अगली बैठक तक इस संबंध में पंचायत के साथ चर्चा करने के लिये कहें।

पंचायत : ..... दिनांक : .....

मुद्दा	समाधान	पंचायत से अपेक्षित सहयोग

नोट : सहभागियों को इस बात की जानकारी प्रदान करें कि अगली बैठक में इस कार्ययोजना की प्रगति या किये गए काम की सामूहिक समीक्षा की जायेगी। आगामी बैठक का दिन, समय एवं स्थान का निर्धारण कर बैठक का समापन करें।

बैठक - 10

हिंसा पीड़ित महिलाओं के सहयोग हेतु संस्थागत व्यवस्थायें

- हिंसा पीड़ित महिलाओं के सहयोग हेतु संचालित संस्थाओं और व्यवस्थाओं से सहभागियों को अवगत कराना। ।

समयावधि : 2 घंटा

बैठक संचालन प्रक्रिया के चरण

- सामाजिक बदलाव/महिला सशक्तिकरण पर कोई गीत का सामूहिक गान।
- पिछली बैठक में तय किये गये कार्यों के प्रगति की समीक्षा।
- महिला हिंसा की रोकथाम एवं हिंसा पीड़ित महिलाओं के सहयोग हेतु संचालित संस्थागत व्यवस्थाओं की जानकारी प्रदान करना।

विगत माह बनायी गई कार्ययोजना की समीक्षा

बैठक की शुरूआत पिछली बैठक में तय किये कार्यों की समीक्षा से करें, क्या कर पाये? क्या नहीं कर पाये? क्या परेशानियां आयी? इन बिंदुओं पर सामूहिक चर्चा करें।

सत्र का उद्देश्य

महिलाओं की सुरक्षा एवं कल्याण के लिये सरकार द्वारा विभिन्न संस्थागत व्यवस्थायें बनायी गई हैं। जहां कोई भी हिंसा पीड़ित महिला सहयोग या मदद की मांग कर सकती है। अच्छी बात यह है कि इस तरह की अधिकांश सेवायें निःशुल्क है। यदि कोई महिला इन सेवा स्थलों तक पहुंच पाने में असमर्थ हो तो टेलीफोन के माध्यम से भी वह मदद प्राप्त कर सकती है। लेकिन जानकारी के अभाव में महिलायें इन व्यवस्थाओं का लाभ नहीं ले पाती। आज की बैठक में हम महिलाओं से जुड़ी कुछ ऐसी ही व्यवस्थाओं के बारे में जानेंगे।

हिंसा पीड़ित महिलाओं के सहयोग हेतु संचालित संस्थायें

1. **वन स्टॉप सेन्टर -** यदि कोई हिंसा पीड़ित महिला वन स्टॉप सेन्टर पहुंचती है तो उसे एक की स्थान से पुलिस सहायता, कानूनी परामर्श, चिकित्सा एवं आश्रय की सुविधा प्रदान की जाती है। इसलिये इसका नाम वन स्टॉप सेन्टर रखा गया है। फोन नंबर - 07682-244250 पर कॉल करके भी मदद प्राप्त की जा सकती है।
2. **महिला हेल्पलाइन (24 घंटे) -** यदि कोई हिंसा पीड़ित महिला कहीं जाने में असमर्थ हो या घर से बाहर किसी संकट में हो तो वह हेल्पलाइन नं0 1090, सी.एम. हेल्पलाइन नंबर 181 एवं डायल

100 पर कॉल कर सहायता प्राप्त कर सकती हैं। यह सेवा 24 घंटे चालू रहती है।

3. **परिवार परामर्श केन्द्र -** परिवार परामर्श केन्द्र में पहुंचने वाले पारिवारिक विवाद के मामलों में सबसे पहले सुलह कराने का प्रयास किया जाता है। इसके अलावा रैफरल एवं पुनर्वास सेवा मुफ्त प्रदान की जाती है।
4. **जिला विधिक सहायता केन्द्र -** सभी वर्ग की हिंसा पीड़ित महिलाओं को निःशुल्क विधिक एवं वकील की सहायता की सहायता प्रदान की जाती है।
5. **अल्पवास/आश्रय गृह -** हिंसा एवं बाढ़ पीड़ित, प्रवासी महिलाओं को आश्रय सुविधा प्रदान की जाती है।
6. **उमंग हेल्पलाइन नंबर -** 14425 पर नंबर पर कॉल कर महिलायें किसी भी समस्या पर परामर्श प्राप्त कर सकती हैं।
7. **संरक्षण अधिकारी -** 'घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम-2005' के तहत विकासखंड एवं जिला स्तर पर पदस्थ परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग को संरक्षण अधिकारी नियुक्त किया गया है।
8. **पुलिस -** महिलाओं से जुड़े मामलों के लिये पुलिस विभाग द्वारा एक पृथक महिला अपराध शाखा की स्थापना की गई है। इसके अलावा महिला किसी भी पुलिस थाने में अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है।

सहजकर्ता, सवाल-जवाब के माध्यम से आज दी गई जानकारी का दोहराव करें तथा सभी प्रतिभागियों के आभार के साथ बैठक का समापन करें।

बैठक-1 : महिला शक्ति समूह के उद्देश्य

महिलायें आपस में संगठित हों, कानूनी समझ रखें और सामाजिक सहयोग एवं दबाव की परिस्थितियां निर्मित करें।

- एक दूसरे का सहयोग देखभाल एवं पारिवारिक मामलों में सहयोग।
- महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु पंचायत एवं प्रसाशन पर दबाव बनाना।
- विभिन्न विषयों पर क्षमतावृद्धि।
- संचालित योजनाओं/कार्यक्रमों एवं सार्वजनिक सेवाओं की जानकारी।
- महिला संबंधी प्रमुख योजनायें जैसे लाड़ली लक्ष्मी, छात्रवृत्ति, विधवा पेंशन आदि का सभी पात्र महिलाओं को लाभ।
- पंचायत को महिला हितैषी पंचायत बनाने में सहयोग करना एवं आवश्यक सामाजिक दबाव का निर्माण करना।
- महिलाओं के लिये सरकारी सुविधायें जैसे आंगनवाडी, स्कूल इत्यादि के उचित संचालन में सहयोग एवं आवश्यक सामाजिक दबाव बनाना।
- महिलायें पंचायत एवं ग्रामसभा में भागीदारी करें और महिलाओं के हित की बात रखें।
- ऐसी सामाजिक कुप्रथायें जो महिलाओं को बहुत अधिक प्रभावित करती हैं, जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा को रोकने हेतु पंचायत एवं महिलाओं का सामूहिक प्रयास।

बैठक -2 : महिलाओं एवं लड़कियों के लिये संचालित प्रमुख योजनाओं के लाभ हेतु पात्रता, दस्तावेज एवं लाभ की जानकारी

क्र.	योजना का नाम	विभाग	पात्रता	आवश्यक दस्तावेज	आवेदन कहां करें	मिलने वाला लाभ
1.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	सामाजिक न्याय विभाग	1. 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की विधवा (कल्याणी) महिलाएं। 2. समग्र पोर्टल पर नाम दर्ज हो	1. पति का मृत्यु प्रमाण पत्र 2. परित्यक्ता की स्थिति में परित्यक्ता प्रमाण पत्र 3. आधार कार्ड 4. समग्र आई.डी. 5. आधार लिंक बैंक खाता 6. पासपोर्ट साइज के तीन फोटो	• एम.पी. आनलाइन/कामन सर्विस सेन्टर (सीएससी) या लोक सेवा केन्द्र पर आवेदन कर सकते हैं। • हितग्राही स्वयं भी नीचे दी गई लिंक के माध्यम से आवेदन कर सकता है। http://socialsecurity.mp.gov.in/	प्रतिमाह 600 रूपये लाभार्थी के बैंक खाते में जमा किये जाते हैं।
2.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	सामाजिक न्याय विभाग	1. बीपीएल सूची में नाम हो 2. आयु 60 वर्ष से अधिक हो 3. समग्र पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य	1. बीपीएल कार्ड 2. आयु संबंधी प्रमाण पत्र 3. आधार कार्ड 4. समग्र आई.डी. 5. आधार लिंक बैंक खाता 6. पासपोर्ट साइज के तीन फोटो	• एम.पी.आनलाइन/कामन सर्विस सेन्टर (सीएससी) या लोक सेवा केन्द्र पर आवेदन कर सकते हैं। • हितग्राही स्वयं भी नीचे दी गई लिंक के माध्यम से आवेदन कर सकता है। http://socialsecurity.mp.gov.in/	प्रतिमाह 600 रूपये लाभार्थी के बैंक खाते में जमा किये जाते हैं।
3.	मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना	सामाजिक न्याय विभाग	1. दम्पति जिनकी संतान के रूप में केवल कन्याएं हो और उनका विवाह हो चुका हो 2. दम्पति में से किसी एक की न्यूनतम आयु 60 वर्ष हो 3. दम्पति आयकर दाता न हो	1. विवाहित कन्याओं का अभिभावक होने तथा कोई पुत्र न होने का पंचायत का प्रमाण पत्र 2. आयकर दाता न होने का, स्व-घोषित प्रमाण पत्र 3. आयु एवं निवास संबंधी प्रमाण पत्र 4. दम्पति का संयुक्त फोटो/ एकल होने की स्थिति में एक का फोटो 5. विधवा परित्यक्ता की स्थिति में पति की मृत्यु/ परित्यक्ता प्रमाण पत्र 6. आधार लिंक बैंक खाता 7. समग्र आई.डी.	• एम.पी.आनलाइन/कामन सर्विस सेन्टर (सीएससी) या लोक सेवा केन्द्र पर आवेदन कर सकते हैं। • हितग्राही स्वयं भी नीचे दी गई लिंक के माध्यम से आवेदन कर सकता है। http://socialsecurity.mp.gov.in/	प्रतिमाह 600 रूपये लाभार्थी के बैंक खाते में जमा किये जाते हैं।
4.	मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना	सामाजिक न्याय विभाग	1. महिला अविवाहित हो और आयु 50 वर्ष या अधिक हो 2. आयकर दाता न हो 3. शासकीय कर्मचारी अधिकारी न हो 4. महिला परिवार पेंशन का लाभ न ले रही हो 5. समग्र पोर्टल पर नाम दर्ज हो	1. अविवाहित होने का प्रमाण पत्र 2. आयकर दाता न होने का, स्व-घोषित प्रमाण पत्र 3. आयु संबंधी प्रमाण 4. स्वयं के तीन फोटो 5. आधार लिंक बैंक खाता	• एम.पी.आनलाइन/कामन सर्विस सेन्टर (सीएससी) या लोक सेवा केन्द्र पर आवेदन कर सकते हैं। • हितग्राही स्वयं भी नीचे दी गई लिंक के माध्यम से आवेदन कर सकता है। http://socialsecurity.mp.gov.in/	प्रतिमाह 600 रूपये लाभार्थी के बैंक खाते में जमा किये जाते हैं।

बैठक -2 : महिलाओं एवं लड़कियों के लिये संचालित प्रमुख योजनाओं के लाभ हेतु पात्रता, दस्तावेज एवं लाभ की जानकारी

क्र.	योजना का नाम	विभाग	पात्रता	आवश्यक दस्तावेज	आवेदन कहां करें	मिलने वाला लाभ
5.	प्रसूति सहायता योजना	श्रम विभाग	1. निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीबद्ध महिला/पुरूष 2. प्रसूता की आयु 18 वर्ष से अधिक होना हो	1. श्रमिक पंजीयन कार्ड 2. प्रसूता प्रमाण पत्र 3. समग्र आई.डी. 4. समग्र एवं आधार लिंक बैंक खाता	• ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत और शहरी क्षेत्र में नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं।	महिला को गर्भावस्था की अंतिम तिमाही में 45 दिन की मजदूरी तथा प्रसव बाद 1000 रूपये पौष्टिक आहार के लिये, पुरूष श्रमिक को पत्नी के प्रसव के बाद 15 दिन की मजूदरी तथा 15 दिन का पितृत्व अवकाश दिया जाता है।
6.	लाड़ली लक्ष्मी योजना	महिला एवं बाल विकास विभाग	1. माता-पिता मध्य प्रदेश के निवासी हों, 2. आंगनवाड़ी केन्द्र में पंजीयन हो 3. जन्म से 1 वर्ष के भीतर आवेदन किया हो 4. माता-पिता आयकर दाता न हों 5. दूसरी कन्या की स्थिति में माता या पिता ने परिवार नियोजन अपना लिया हो	1. बालिका का जन्म प्रमाण पत्र 2. मूल निवासी प्रमाण पत्र 3. बालिका के माता या पिता द्वारा परिवार नियोजन अपनाए जाने संबंधी प्रमाण पत्र 4. माता-पिता के साथ बालिका का फोटो 5. आयकर दाता न होने का प्रमाण पत्र	• आंगनवाडी कार्यकर्ता के माध्यम से परियोजना कार्यालय, महिला एवं बाल विकास विभाग में आवेदन कर सकते हैं।	कक्षा 6 में प्रवेश से लेकर 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक कुल 1,18000/- रूपए प्रदान किए जाते हैं।
7.	सुकन्या समृद्धि योजना	भारतीय डाक विभाग	1. योजना का लाभ केवल दो कन्याओं तक सीमित 2. कन्या के जन्म से 10 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक खाता खोला जा सकता है 3. कन्या की आयु 21 साल पूर्ण होने या 18 साल के बाद विवाह होने तक खाते को चलाया जा सकता है 4. एक वर्ष में न्यूनतम 250 रूपये जमा कराना अनिवार्य है 5. एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 1 लाख 50 हजार रूपये जमा कराए जा सकते हैं	1. कन्या का जन्म प्रमाण पत्र 2. अभिभावक और कन्या दोनों की समग्र आई डी 3. अभिभावक और कन्या दोनों का आधार कार्ड 4. अभिभावक के पते का प्रमाण 5. अभिभावक और कन्या दोनों के पासपोर्ट साइज के दो-दो फोटो	• पोस्ट आफिस या किसी भी राष्ट्रीय बैंक में कन्या के नाम से सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाया जा सकता है।	• जमा राशि पर फिक्स डिपाजिट योजना से अधिक ब्याज। • 18 साल पूरे होने पर आधी राशि शिक्षा हेतु निकाली जा सकती है। • 18 वर्ष बाद कन्या के विवाह हेतु राशि निकाली जा सकती है।

बैठक -2 : महिलाओं एवं लड़कियों के लिये संचालित प्रमुख योजनाओं के लाभ हेतु पात्रता, दस्तावेज एवं लाभ की जानकारी

क्र.	योजना का नाम	विभाग	पात्रता	आवश्यक दस्तावेज	आवेदन कहां करें	मिलने वाला लाभ
8.	प्री मैट्रिक स्कालरशिप	पिछड़ा वर्ग एवं अजा एवं अजजा कल्याण विभाग	1. सरकारी या पंजीकृत निजी स्कूलों में अध्ययनरत अजा अजजा एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कक्षा 1 से 10 तक के नियमित विद्यार्थी 2. परिवार की सालाना आय 1 लाख रूपये से अधिक न हो	1. जाति प्रमाण पत्र 2. विद्यार्थी का आधार कार्ड 3. पिछली परीक्षा की अंकसूची 4. आय प्रमाण पत्र 5. समग्र आई.डी. 6. आधार कार्ड 7. मूल निवासी प्रमाण पत्र 8. बैंक पासबुक की फोटोकापी 9. पासपोर्ट साइज का एक फोटो	• छात्र जिस संस्था में अध्ययनरत हो, उसी संस्था में आवेदन करना होगा	1. कक्षा 1 से 5 तक की अजजा की छात्राओं को 250 रूपये 2. कक्षा 6 से 8 तक की अजा व अजजा की छात्राओं को 600 एवं छात्रों को 200 रूपये तथा पिछड़ा वर्ग की छात्राओं को 300 एवं छात्रों को 200 रूपये 3. कक्षा 9 से 10 तक के अजा/ अजजा वर्ग के छात्रा/ छात्राओं को 2250 एवं पिछड़ा वर्ग की छात्राओं को 400 एवं छात्रों को 300 रूपये छात्रवृति दी जाती है
9.	पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप – पिछड़ा वर्ग	उच्च शिक्षा विभाग	1. छात्र/छात्रा मध्यप्रदेश के मूल निवासी हो 2. अन्य पिछड़ा वर्ग जाति से हो 3. पिछली कक्षा उत्तीर्ण हो 4. माता-पिता की सालाना आय 3 लाख रूपये से अधिक न हो	1. पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र 2. मूल निवासी प्रमाण पत्र 3. पिछली परीक्षा की अंकसूची 4. आय प्रमाण पत्र 5. समग्र आई.डी. 6. बैंक खाता विवरण 7. पासपोर्ट साइज का एक फोटो 8. कालेज एवं पाठयक्रम का कोड	• स्टेट स्कालरशिप पोर्टल की लिंक http://scholarshipportal.mp.nic.in/Public/Student_Search.aspx पर विद्यार्थी स्वयं या एम.पी. ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकता है	• छात्रवृति की राशि कालेज और पाठयक्रम के आधार पर तय की जाती है। छात्रों के माता – पिता/ अभिभावक की सालाना आय 3 लाख रूपये या इससे कम होने पर 100 प्रतिशत छात्रवृति प्रदान की जाती है
10.	पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप – अजा एवं अजजा	पिछड़ा वर्ग एवं राज्य शासन अजा एवं अजजा कल्याण विभाग	1. अजा या अजजा का जाति प्रमाण पत्र 2. कक्षा 6 से 10 तक के सरकारी या पंजीकृत निजी स्कूल में नियमित अध्ययनरत छात्र एवं छात्रा 3. परिवार की सालाना आय 6 लाख या उससे कम हो	1. अजा या अजजा का जाति प्रमाण पत्र 2. आधार कार्ड 3. समग्र आई.डी. 4. बैंक खाता 5. पासपोर्ट साइज का एक फोटो	• आवेदन संबंधित स्कूल में करना होगा। स्कूल प्रशासन द्वारा अपनी आई.डी. से State Scholarship Portal 2.0, Madhya Pradesh पर सबमिट किया जाता है अथवा एम. पी. ऑनलाइन के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है।	• अजा एवं अजजा वर्ग के प्रत्येक छात्र को छात्रावृति प्रदान की जाती है। • छात्रवृति की राशि स्कूल के प्रकार सरकारी निजी तथा कक्षा अनुसार दी जाती है। • जिन छात्रों के माता-पिता की आय 5 से 6 लाख के बीच है उन्हें 50 प्रतिशत छात्रवृति दी जाती है।

बैठक - 5 : पितृसत्ता/ सत्ता

पितृसत्ता

- पितृसत्ता समाज द्वारा बनायी गई एक सामाजिक व्यवस्था है, जिसमें पिता या परिवार का सबसे बड़ा पुरूष, परिवार का मुखिया होता है। इसमें पुरूषों को ज्यादा हक दिये जाते हैं और महिलाओं को उनके हकों से दूर रखा जाता है।
- इस व्यवस्था में महिला और पुरूष को समाज द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार चलना पड़ता है। धर्म, समाज व रूढ़िवादी परंपराएं पितृसत्ता को और ताकतवर बनाती हैं।

सत्ता और पितृसत्ता

- सत्ता यानी दूसरों को कंट्रोल करने या नियंत्रित करना इंसान की सामान्य प्रवृत्ति मानी जाती है। स्त्री हो या पुरूष, हर कोई अन्य लोगों पर अपना प्रभुत्व जमाए रखना चाहता है। इसे यूं भी कह सकते हैं कि खुद को बेहतर बताने के लिए, औरों को अपने से नीचे समझना इंसानी कमजोरी है।
- अपनी कमियों और कमजोरियों को ढंकने के लिए सत्ता का प्रयोग अक्सर होता है। एक खास तबके का बर्चस्व बना रहे इसके लिए समाज के अन्य वर्गों पर नियंत्रण रखना जरूरी हो जाता है।
- सत्ता और पितृसत्ता आपस में जुड़े हुए हैं, हम अपने चारों ओर देखते हैं कि जीवन के सभी आयामों में पुरूष की हुकूमत चलती है।
- सत्ता और नियंत्रण किसी के भी हाथ में हो सकता है - स्त्री हो या पुरूष। दोनों ही अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए उसका दुर्पयोग कर सकते हैं।
- 99 प्रतिशत निर्णय पुरूषों के हाथ में हैं। घर-परिवार, धर्म-राजनीति, सभी क्षेत्रों में पुरूष की ही चलती है। स्त्री उसके अधीन है। उसका अपने शरीर, संपत्ति, सोच, बच्चे किसी पर हक नहीं होता।
- पितृसत्ता की सोच सारी दुनिया में एक ही रंग में नहीं रंगी होती। मूल रूप से पुरूष की सत्ता में विश्वास रखते हुए भी इसके अनुभव आदि विविध होते हैं। जो सबमें समान है, वो है औरत का दोयम दर्जे पर होना। वेशभूषा, रीति रिवाज अलग भले ही हों।
- पितृसत्ता समाज, परिवेश, समय, इतिहास आदि के अनुसार खुद को ढालती रहती है। उदहारण स्वरूप आधुनिक पितृसत्ता पूंजीवाद और उपभोक्तावाद के साथ जुड़ गई है, जिसमें औरत को वस्तु समझना सामान्य बात हो गई है।

- सत्ता प्रत्यक्ष यानी स्पष्ट रूप से दिखने वाली या अप्रत्यक्ष यानी ओझल या छुपी भी हो सकती है। जैसे कोई डॉटकर अपनी ताकत दिखा सकता है, कोई सिर्फ चेहरे के भाव से। मुखिया कोई नाम के लिए हो (जैसे महिला सरपंच) पर असली कमान (पति या कोई अन्य पुरूष) किसी और के हाथ में हो।
- सत्ता के स्रोत हैं - पैसा, ओहदा, पद, व्यक्तिगत करिश्मा, जाति और वर्ग में स्थान, रिश्तों और उम्र में स्थिति, राजनीति में पैठ आदि।

सत्ता के मूल आधार

- हर प्रकार के संसाधनों पर नियंत्रण - चाहे वह पैसे, जमीन-जायदाद से संबंधित हो, इंसान का श्रम हो, बुद्धि हो, औरत की प्रजनन शक्ति हो।
- सत्ता बनी-बनाई भावना नहीं है, व्यक्ति, समय, समाज के अनुसार बदलती रहती है।
- समाज के अलग-अलग तरह के विभाजन और संस्थान इसको सींचते रहते हैं - जेंडर, उम्र, जाति, वर्ग, परिवार, धर्म, शिक्षा, मीडिया, कानून आदि।
- जब सत्ता का पावर पुरुष के पास होता है, तो यह पितृसत्ता है जो भेदभावपूर्ण व्यवहार की ओर ले जाता है।

नोट्स

समर्थन के बारे में ...

समर्थन एक गैर सरकारी संस्था है जो विगत 25 वर्षों से मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में सहभागी अभिशासन एवं विकास को बढ़ावा देने की दृष्टि से काम कर रही है। हमारा प्रयास नागर समाज की संस्थाओं, पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों की क्षमतावृद्धि कर उन्हें मजबूत बनाना है, ताकि नागरिकों और राज्य के बीच एक सहयोगी सेतु निर्मित हो जिससे वंचितों की आवाज बुलन्द हो सके।

संस्था मुख्यतः सहभागी शोध एवं जमीनी सच्चाइयों से उभरे ठोस आंकड़ों के आधार पर ग्रामीण एवं शहरी आम नागरिकों के हितों में मौलिक अधिकारों एवं प्राथमिक सेवाओं की पैरवी करती है। हमारा लक्ष्य पंचायती राज संस्थाओं और बुनियादी स्तर के समूहों को मजबूत करना एवं उनकी क्षमतावृद्धि करना है। ताकि वे विकेन्द्रीकृत विकास और अभिशासन के मुद्दों को आगे बढ़ा सकें।

समर्थन द्वारा वर्ष 2018 में यूएनएफपीए के सहयोग से युवाओं की सूचना और सेवाओं तक पहुंच को बेहतर बनाने में विभागीय अभिसरण मॉडल विकसित करने के उद्देश्य से छतरपुर जिले में अपने काम की शुरूआत की। विगत एक वर्ष से संस्था लैंगिक भेदभाव और महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा की रोकथाम हेतु छतरपुर जिले में कार्य कर रही है। जिसके तहत घरेलू हिंसा की रोकथाम एवं निराकरण में पंचायती राज संस्थाओं और अन्य हितधारक, जैसे – आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ए.एन.एम., महिला शक्ति समूह, युवा, संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता संस्थाओं की सक्रिय भूमिका स्थापित करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

स म र्थ न

सेन्टर फॉर डेवलपमेन्ट सपोर्ट (समर्थन)
प्रधान कार्यालय : 36, ग्रीन एवेन्यू, चूना भट्टी कोलार रोड, भोपाल–462016
ई–मेल info@samarthan.org, वेबसाइट – www.samarthan.org